फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक 10.02.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जनवरी, 2023 का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ जनवरी, 2023 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

ह./-

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

011-23034899

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जनवरी, 2023 का मासिक सार।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति (सीसीपीए) की बैठक

मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने बुधवार, 4 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि-:

1. संसद के दोनों सदनों को बजट सत्र, 2023 के लिए मंगलवार 31 जनवरी, 2023 से बुलाया जाए और सरकारी कार्य की आवश्कताओं के अधीन रहते हुए, सत्र को 6 अप्रैल, 2023 को समाप्त किया जा सकता है।
2. संसद के दोनों सदनों को सोमवार, 13 मार्च, 2023 को पुन: समवेत होने के लिए सोमवार, 13 फरवरी, 2023 को मध्यावकाश हेतु स्थगित किया जाए।
3. माननीय राष्ट्रपति मंगलवार, 31 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित कर सकते हैं; और
4. वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट बुधवार, 1 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे लोक सभा में पेश किया जा सकता है और बजट पेश करने/सभा पटल पर रखे जाने के बाद, सदनों को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए।

बजट सत्र, 2023 (सत्रहवीं लोक सभा का 11वां सत्र और राज्य सभा का 259वां सत्र) शुरू हुआ

बजट सत्र, 2023 (सत्रहवीं लोक सभा का 11वां सत्र और राज्य सभा का 259वां सत्र) 31 जनवरी, 2023 से शुरू हुआ।

राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण

भारत के राष्ट्रपति ने 31.01.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की समवेत बैठक को संबोधित किया।

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

  जनवरी, 2023 के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से कोई आश्वासन नहीं निकाला गया तथा राज्य सभा की कार्यवाही से 02 आश्वासन निकाले गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

जनवरी, 2023 के महीने में -

क. सरकार द्वारा विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर 04 संसद सदस्यों को नामित किया गया।

उपरोक्त विवरण **<u>अनुबंध-I</u>** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के तहत उठाए गए मामले**
दिनांक 01.01.2023 को लंबित मामले	362	277
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल लंबित मामले	362	277
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	093	047
शेष मामले	**269**	**230**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

जनवरी, 2023 के दौरान, कुल 46 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया। 36 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों के विवरण आदि को एनवाईपीएस पोर्टल पर अपलोड किया। युवा संसद की इन बैठकों में 1488 छात्रों ने भाग लिया।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

जनवरी, 2023 के दौरान, नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के प्रदर्शन और परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु भावी रोडमैप पर चर्चा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में 12 जनवरी, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और उसमें तेजी लाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, डीडीजी, एनआईसी और एमडी, एनआईसीएसआई ने भी बैठक में भाग लिया।

3. **क्षमता निर्माण के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्यशाला -**

1. उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के लिए नेवा सॉफ्टवेयर में उनकी आवश्यकताओं के एकीकरण हेतु 13 जनवरी, 2023 को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
2. सीपीएमयू द्वारा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों के लिए 13 जनवरी, 2023 को कुछ तकनीकी मामलों के समाधान हेतु एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
3. सीपीएमयू द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के लिए 24 जनवरी, 2023 को नेवा के नवविकसित "डिजिटल आर्काइव्स" मॉड्यूल के प्रदर्शन हेतु एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
4. मिजोरम विधानसभा के अधिकारियों के लिए 25 जनवरी, 2023 को नेवा के "डिजिटल आर्काइव्स" मॉड्यूल और "रिपोर्टर" मॉड्यूल के प्रदर्शन हेतु एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
5. सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के लिए 31 जनवरी, 2023 को नेवा सॉफ्टवेयर के संबंध में नए सुझावों/आवश्यकताओं पर चर्चा के संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

- **प्रोटोकॉल और कल्याण (पी एंड डब्ल्यू)**

  माह के दौरान:-

  30 जनवरी, 2023 को संसद के बजट सत्र, 2023 के सुचारू संचालन के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

2. लंबे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन की मंजूरी' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. चालू स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और उन पर नजर रखी जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

-लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर के पदों में रिक्ति की स्थिति

वर्तमान में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध-I

जनवरी, 2023 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित संसद सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित किया गया**	**अभ्युक्ति**
1.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	12.01.2023 को नामित
2.	श्री कार्तिकेय शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वित्त मंत्रालय	12.01.2023 को नामित
3.	श्री घनश्याम सिंह लोधी, संसद सदस्य (लोक सभा)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	31.01.2023 को नामित
4.	श्रीमती डिंपल यादव, संसद सदस्य (लोक सभा)	रक्षा मंत्रालय	31.01.2023 को नामित